राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–प्रशि0/जीएनएम/2010/ 1816 दिनांकः– 7/10/10

–परिपत्र–

जी.एन.एम. सत्र 2010–11 में कम्प्यूटरीकृत काउन्सलिंग के माध्यम से निजी नर्सिंग स्कूल्स की अधिकांश सीटो पर प्रवेश दे दिया गया है। प्रवेशित छात्रो से फीस पेटे अग्रिम 10000/– रूपये रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौसिंल, जयपुर के यहाँ जमा है तथा शेष 28000/– रूपये संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स में ज्वाईनिंग के समय अभ्यर्थी को जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस निदेशालय के ध्यान मे लाया गया है कि कुछ संस्थानो द्वारा उनके यहां प्रवेशित अभ्यर्थियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिये 28000/–रूपयें फीस राशि से अधिक राशि की मांग/वसूली जा रही है। यह भी ध्यान में लाया गया है कि कुछ निजी नर्सिंग स्कूल्स में ज्वाईनिंग लेने वाले अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी समय पर उपलब्ध नही हो पाते है जिसकी वजह से ज्वाईनिंग में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र कमांक एफ.24(27)/चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/2009 दिनांक 08.09.2009 एवं निदेशालय के परिपत्र क्रमांक प्रशि0/जीएनएम/09/438 दिनांक 14.9.09 की ओर ध्यान आकर्षित कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2010–11 मे भी जीएनएम प्रशिक्षाणार्थियों से उपरोक्त निर्धारित फीस ही ली जावे। किसी भी अभ्यर्थी से आगामी दो वर्ष की बैंक गारंटी नहीं ली जावे। जो प्रशिक्षाणार्थी हॉस्टल मे रहे उन्ही से निर्धारित हॉस्टल फीस राशि प्रति वर्ष के हिसाब से ली जावे और जो प्रशिक्षणार्थी हॉस्टल एवं बस का उपभोग नहीं करना चाहे, ऐसे प्रशिक्षणार्थियों से हॉस्टल फीस एवं बस किराया नहीं लिया जावे।

यदि किसी भी निजी नर्सिंग स्कूल्स द्वारा राजकीय/फैडरेशन कोटे से चयनित/प्रवेशित अभ्यर्थी से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस राशि से अधिक राशि वसूलने की शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी संस्थान के विरूद्ध इस प्रकरण को गंभीरता से लिया जावेगा और राज्य सरकार के आदेशो की अवहेलना करने का दोषी मानते हुये संस्थान को राज्य सरकार स्तर से जारी एनओसी निरस्त किये जाने बाबत कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

(बी.के. दोसी)
अति0 निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांकः–प्रशि0/जीएनएम/2010/ 1816 दिनांकः– 7/10/10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, आरएनसी जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना अपके स्तर से भी कराई जावे।
6. अध्यक्ष/सचिव प्राईवेट फैडरेशन नर्सिंग स्कूल्स राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना आपके स्तर से भी कराई जावे।
7. समस्त संबधित निजी नर्सिंग स्कूल्स को पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वक कक्ष मु0 को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. दोसी)
अति0 निदेशक(प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।